

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 2 जनवरी 2021 — पौष 12, शक 1942

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 1 जनवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12-1/2020/मबावि/50 (पार्ट 2) . — किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के चयन के लिये गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे उल्लेखित तालिका के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) में उल्लेखित व्यक्तियों को, कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित तत्संबंधी जिले के बालक कल्याण समिति में, क्रमशः अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नीचे उल्लेखित शर्तों के अधधीन रहते हुये नियुक्त करती है, अर्थात :-

तालिका

स. क्र.	जिले का नाम	बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष का नाम	बालक कल्याण समिति के सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बेमेतरा	श्री शेषनारायण मिश्रा	1. श्रीमती मनीषा तिवारी 2. सुश्री मुमताज रवानी 3. श्री राजेन्द्र सिंह बनाफर
2.	गरियाबंद	श्री कृष्ण कुमार शर्मा	1. श्री फहद खान 2. श्री उमैद सिंह ध्रुव
3.	मुंगेली	श्री मारुत महेन्द्र सिंह परिहार	-
4.	बालोद	-	1. श्रीमती रीतु बाम्बेश्वर 2. श्रीमती गायत्री साहू 3. श्री हेमलाल साहू

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	कबीरधाम	-	1. श्रीमती इरशाद बेगम 2. श्री राजेन्द्र कुमार बारले 3. श्री विष्णु सिंह चन्द्रवंशी 4. श्री विश्वनाथ साहू
6.	बलीदाबाजार	-	1. श्रीमती अपर्णा सराफ 2. श्री प्रवीण अग्रवाल 3. श्रीमती शारदा सोनी
7.	रायगढ़	-	1. श्रीमती दिव्या पाण्डेय 2. श्री गोपाल कृष्ण महापात्रा
8.	धमतरी	-	1. श्री बलवंत गायकवाड़ 2. श्रीमती सत्ती केशवानी 3. श्रीमती प्रसून शुक्ला (शर्मा)
9.	बस्तर	-	1. डॉ. मदनलाल लखनपाल 2. श्री रमेश कुमार राजपूत
10.	कोरिया	-	1. श्रीमती अस्मिता जायसवाल 2. श्री रूप नारायण पाण्डेय 3. श्रीमती संध्या रामावत
11.	कोरबा	-	1. श्रीमती बीता चक्रवर्ती 2. श्री डिकसन मसीह 3. श्री गोकुल दास 4. श्रीमती चन्द्रबाला शुक्ला
12.	सुरजपुर	-	1. सुश्री फरीदा खान 2. श्री घनश्याम राजवाड़े
13.	सरगुजा	-	1. श्री मोहम्मद इशरत सिद्दीकी 2. श्रीमती सरिता पाण्डेय
14.	जशपुर	-	1. श्री विजय कुमार गुप्ता 2. श्रीमती इन्दुमती यादव
15.	जांजगीर-चांपा	-	1. श्री संतोष कुमार देवांगन 2. श्री सत्यनारायण शर्मा

शर्त:-

- (1) यह नियुक्तियां अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र एवं व्यक्तिगत वार्तालाप में दी गयी जानकारी तथा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर की गई है. किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा में, राज्य शासन को संबंधित व्यक्ति का नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा. इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा.
- (2) बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों की पदावधि, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये होगी.

- (3) बालक कल्याण समिति किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का 2) की धारा 28 की उप-धारा (1) के अनुसार अपनी बैठक आहूत करेगी, जिसमें विहित तिथि/समय पर अध्यक्ष/सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी.
- (4) बालक कल्याण समिति, बाल गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा विनिश्चित स्थान पर अपनी बैठक आहूत करेगी.
- (5) बालक कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति, किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा (27) की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी.
- (6) कंडिका क्रमांक 5 के अतिरिक्त, समिति के अध्यक्ष/सदस्य, एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय त्यागपत्र दे सकेंगे.
- (7) समिति, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के अनुसार बालकों के कल्याण एवं संरक्षण के लिये कार्य करेंगी.
- (8) यदि नियुक्त सदस्य, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो बालक कल्याण समिति के सदस्य के रूप में उनके कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं, तो उन्हें अपनी वर्तमान सेवा/व्यवसाय का कार्य स्थगित करना होगा.
- (9) यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन होने तक प्रावधिक मानी जायेगी. यदि किसी नियुक्त अभ्यर्थी के पुलिस सत्यापन में विपरीत टीप प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएगी.

No. F 12-1/2020/MBV/50 (Part 2) . — In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 27 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) and as per the recommendations of the State level Selection Committee constituted for selection of the Chairperson/Members of the Child Welfare Committee, the State Government, hereby, appoints the following persons mentioned in column number (3) and (4) of the table mentioned below as Chairperson/Members respectively in the Child Welfare Committee of the corresponding District mentioned in column number (2), subject to the conditions mentioned below, namely :-

TABLE

S. No. (1)	Name of the District (2)	Name of the Chairperson of the Child Welfare Committee (3)	Name of the Member of the Child Welfare Committee (4)
1.	Bemetara	Mr. Shesh Narayan Mishra	1. Mrs. Manisha Tiwari 2. Ms. Mumtaj Rawani 3. Mr. Rajendra Singh Banaphar
2.	Gariyaband	Mr. Krishna Kumar Sharma	1. Mr. Fahad Khan 2. Mr. Umend Singh Dhruv
3.	Mungeli	Mr. Marut Mahendra Singh Parihar	-
4.	Balod	-	1. Mrs. Ritu Bambeshwar 2. Mrs. Gayatri Sahu 3. Mr. Hemlal Sahu
5.	Kabirdham	-	1. Mrs. Irshad Begam 2. Mr. Rajendra Kumar Barle 3. Mr. Vishnu Singh Chandravanshi 4. Mr. Vishvanath Sahu
6.	Balaudabazar	-	1. Mrs. Aparna Saraf 2. Mr. Pravin Agrawal 3. Mrs. Sharda Soni

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Raigarh	-	1. Mrs. Divya Pandey 2. Mr. Gopal Krishna Mahapatra
8.	Dhamtari	-	1. Mr. Balvant Gayakvad 2. Mrs. Shatti Keshvani 3. Mrs. Prasun Shukla (Sharma)
9.	Bastar	-	1. Dr. Madanlal Lakhanpal 2. Mr. Ramesh Kumar Rajput
10.	Koriya	-	1. Mrs. Asmita Jayasval 2. Mr. Rup Narayan Pandey 3. Mrs. Sandhya Ramavat
11.	Korba	-	1. Mrs. Bitu Chakravarti 2. Mr. Dixan Masih 3. Mr. Gokul Das 4. Mrs. Chandrabala Shukla
12.	Surajpur	-	1. Ms. Farida Khan 2. Mr. Ghanshyam Rajwade
13.	Sarguja	-	1. Mr. Mohammad Ishrat Siddiki 2. Mrs. Sarita Pandey
14.	Jashpur	-	1. Mr. Vijay Kumar Gupta 2. Mrs. Indumati Yadav
15.	Janjgir-Champa	-	1. Mr. Santosh Kumar Dewangan 2. Mr. Satyanarayan Sharma

Condition:-

- (1) These appointments have been done on the basis of information given in the application & personal interaction and documents submitted by the applicants. In case of wrong information or discrepancy or complaint at any level, State government shall have the rights to cancel the appointment of the concerned person and no representation shall be acceptable in this regards.
- (2) The term of the Chairperson/Members of the Child Welfare Committee shall be for a period of three years from the date of the issue of this order.
- (3) Child Welfare Committee shall hold its meetings as per sub-section (1) of Section 28 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), in which presence of Chairperson/members on the prescribed date/time shall be mandatory.
- (4) Child Welfare Committee shall hold its meetings in the premises of the Children Home or at any place decided by the District Child Protection Committee.
- (5) Appointment of the Members of the Child Welfare Committee may be terminated in accordance with the provisions of sub-Section (7) of Section 27 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016).
- (6) Besides serial no. 5 Chairperson/Members of the Committee may resign at any time by giving one month's notice.

- (7) Committee shall function for the welfare and protection of the children in accordance with the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) & the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.
- (8) If the appointed member is in a profession/service, which can affect his work as a member of the Child Welfare Committee, then he will have to postpone his work of existing profession/service.
- (9) This appointment will be considered provisional till the police verification. If any adverse comment is found in police verification of appointed candidate, his appointment will be considered terminated with immediate effect.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 1 जनवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12-1/2020/मबावि/50 (पार्ट 2) . — किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार एतद्वारा नीचे उल्लेखित तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को, कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित तत्संबंधी जिले के किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नीचे उल्लेखित शर्तों के अधीन रहते हुये नियुक्त करती है, अर्थात :-

तालिका

स. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता (3)
1.	बालोद	श्रीमती जगोतिन ठाकुर
2.	कबीरधाम	श्री रमेश कुमार चन्द्रवंशी
3.	राजनांदगांव	सुश्री पुष्पलता गनवीर
4.	बिलासपुर	श्रीमती सीमा सिंह ठाकुर
5.	गरियाबंद	श्री राम बिशाल वर्मा
6.	धमतरी	1. श्रीमती प्रिती बजाज 2. श्री रामकुमार सिन्हा
7.	बस्तर	श्री धरमू राम कश्यप
8.	कोण्डागांव	श्रीमती स्मृति मिश्रा
9.	कोरिया	श्रीमती माधुरी गुप्ता
10.	सरगुजा	श्रीमती सुमन रवानी

(1)	(2)	(3)
11.	जशपुर	1. सुश्री शैलेन्द्र कौर मांगट 2. श्री सत्येन्द्र नारायण मिश्रा

शर्त:-

- (1) यह नियुक्तियां अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र एवं व्यक्तिगत वार्तालाप में दी गयी जानकारी तथा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर की गई है। किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा में राज्य शासन को संबंधित व्यक्ति का चयन निरस्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (2) किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ताओं की पदावधि, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये होगी।
- (3) बोर्ड, संप्रेक्षण गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा विनिश्चित स्थान पर अपनी बैठक आहूत करेगा, जिसमें विहित तिथि/समय पर सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (4) किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा (4) की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी।
- (5) कंडिका क्रमांक 4 के अतिरिक्त, बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता, एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय त्यागपत्र दे सकेंगे।
- (6) नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के अनुसार कार्य करेंगे।
- (7) यदि नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में उनके कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं, तो उन्हें अपनी वर्तमान व्यवसाय/सेवा का कार्य स्थगित करना होगा।
- (8) किशोर न्याय बोर्ड में नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता यदि अधिवक्ता हैं तो बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान प्रेक्टीस नहीं करेंगे तथा इस हेतु उन्हें किशोर न्याय बोर्ड में अपने कार्यकाल की अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद् से अपना पंजीयन/सनद् स्थगित कराना होगा तथा उन्हें इस संबंध में सुसंगत दस्तावेज विभाग को उपलब्ध कराना होगा। इसके पश्चात ही वे किशोर न्याय बोर्ड में उपस्थिति दे सकेंगे।
- (9) यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन होने तक प्रावधिक मानी जायेगी। यदि किसी नियुक्त अभ्यर्थी के पुलिस सत्यापन में विपरीत टीप प्राप्त होती है, तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएगी।

No. F 12-1/2020/MBV/50 (Part 2) . — In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) and as per the recommendations of the State level Selection Committee, the State Government, hereby, appoints the following person mentioned in column number (3) of the table mentioned below in the Juvenile Justice Board of the corresponding District mentioned in column number (2) as Social worker, subject to the conditions mentioned below, namely :-

TABLE

S. No.	Name of the District	Name of the Social worker of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)
1.	Balod	Mrs. Jagotin Thakur
2.	Kabirdham	Mr. Ramesh Kumar Chandravanshi
3.	Rajnandgaon	Ms. Pushpalata Ganvir

(1)	(2)	(3)
4.	Bilaspur	Mrs. Seema Singh Thakur
5.	Gariyaband	Mr. Ram Bisal Varma
6.	Dhamtari	1. Mrs. Priti Bajaj 2. Mr. Ramkumar Sinha
7.	Bastar	Mr. Dharmu Ram Kashyap
8.	Kondagaon	Mrs. Smriti Mishra
9.	Koriya	Mrs. Madhuri Gupta
10.	Sarguja	Mrs. Suman Ravani
11.	Jashpur	1. Ms. Shailendra Kaur Mangat 2. Mr. Satyendra Narayan Mishra

Conditions:-

- (1) These appointments have been done on the basis of information given in the application & personal interaction and documents submitted by the applicants. In case of wrong information or discrepancy or complaint at any level, State government shall have the rights to cancel the appointment of the concerned person and no representation shall be acceptable in this regards.
- (2) The term of the Social Workers of the Juvenile Justice Board shall be for a period of three years from the date of the issue of this order.
- (3) The Board shall hold its meetings in the premises of the Observation Home or at any place decided by the District Child Protection Committee, in which presence of the Social Workers on the prescribed date/time shall be mandatory.
- (4) Appointment of the Social Workers of the Juvenile Justice Board may be terminated in accordance with the provisions of sub-Section (7) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016).
- (5) Besides serial no. 4, Social Workers of the Board may resign at any time by giving one month's notice.
- (6) Appointed Social Workers shall function according to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.
- (7) If the appointed Social Worker is in a profession/service which can affect his work as a member of the Juvenile Justice Board then he shall have to postpone his work of existing profession/service.
- (8) If the Social Worker appointed in the Juvenile Justice Board is an advocate, then he shall not be able to practice during his/her tenure in the Board and for this they shall have to get their registration/license suspended from the Chhattisgarh State Bar Council for the period of their tenure in Juvenile Justice Board and they have to provide the relevant documents in this regard to the department. Only after that he can join the Juvenile Justice Board.
- (9) This appointment will be considered provisional till the police verification. If any adverse comment is found in police verification of appointed candidate, his appointment will be considered terminated with immediate effect.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, उप-सचिव.